LOK SABHA

Thursday, April 7, 1977/Chaitra 17, 1899 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWER TO QUESTION

SHORT NOTICE QUESTION

Regularization of Unauthorized colonies.

SNQ 4. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) what is the policy of the Government regarding the regularization of unauthorised colonies;

(b) does Government propose to change the Master Plan; and

(c) if so, will Government announce to set up a Committee to suggest necessary changes in the Master Plan?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) It was decided by Government in February, 1977 to regularise the various unauthorised colonies in Delhi subject to certain terms and conditions. Copy of the orders issued is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See No.* LT 228/77].

(b) Wherever such regularisation is considered necessary and is feasible in accordance with the terms and conditions stipulated change of land use will be considered on merits for being incorporated in the Zonal Development Plan/Master Plan.

(c) A High Level Implementation Body is to be set up to watch the progress of regularisation and development of unauthorised colonies in accordance with the policy laid down by Government.

श्री कंवर लाल गुप्त : पिछले बीस महीने करीब आठ लाख लोगों को पुरानी सरकार ने उजाड़ कर दूर फैंक दिया है और करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट इस प्रकार से हुई है, डिमालिशन की वजह से हुई है । वहां उनको फैंका गया है जहां बेसिक एमेनेटीज भी नहीं है और इंसान हैवानों की तरह रह रहे हैं । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह ठीक नहीं है कि ये सब डिसिशंज 1974 में प्रधान मंत्री की मौजूदगी में डी डी ए के अफसरों की मौजूदगी में, लिए गए थे और यह तय किया गया था कि 1971 के पहले के भी जितने कंस्ट्रकशंज हैं उनको तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए । मैं जानना चाहता हूं कि यह निर्णय क्या प्रधान मंत्री की मौजूदगी में नहीं हुआ था ।

यह जो इम्प्लेमेन्टेशन बाडी है यह कब तक बन जाएगी ?

क्या आप कोई डैड लाइन फिक्स कर सकते हैं जब तक इन कालोनीज को रेग्युलेराइज कर दिया जाएगा ?

SHRI SIKANDAR BAKHT: The decision of demolition was taken at a meeting held in the then Prime Minister's room during the first half

of July 1974. The high level implementation body will be set up very soon.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Can you fix some deadline for regularisation?

SHRI SIKANDAR BAKHT: I cannot give a deadline just now.

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या मंत्री महोदय एश्योर करेंगे हाउस को कि मास्टर प्लान में बदल होगी और लैंड यूज में भी बदल होगी ? शास्त्री नगर जैसी बहुत सी कालोनीज हैं जिन को मास्टर प्लान में रेजीडेंशल एरिया नहीं बताया गया है लेकिन वहां कम से कम साढ़े सत्तर हजार की आबादी है और करोड़ों रुपया लगा हुआ है क्या उन कालोनीज के लैंड यूज को आप चेंज करेंगे और एश्योर करेंगे कि इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी कालोनीज हैं वे डिमालिश नहीं की जाएंगी ।

कई मार्किट वालों को भी पहले वाली सरकार ने हटा कर दूर फैंक दिया था जहां पर एमेंनेटीज नहीं है । क्या आपने पता लगाया है कि वहां पर क्या क्या एमेनेटीज दी जानी चाहिए । वहां पानी, सड़कें, ड्रेनेज नहीं हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप उनका सर्वे करेंगे और वहां जो जरूरी चीजें हैं वे मुहैया करेंगे ?

पिछली सरकार ने स्लम्ज हो हटाया । उन लोगों के पक्के मकान वहां पर थे । मैं जानना चाहता हूं कि उनको वहीं पर क्वार्टर बना करके ये क्वार्टर उनको वहीं पर दिए जाएंगे ?

SHRI SIKANDAR BAKHT: With your permission, I have already answered first two questions that the use of the land will be considered on merits and changes will be made. In regard to part (c), I have said that the development of unauthorised colonies will be made in accordance with the policy laid down by Government. It has also been committed by the Government that those who have been displaced from residential areas, will be re-settled in the same areas.

SHRI JAGANNATH RAO: After the lifting of the emergency many juggi jhopris have come up in a mushroom way. Will the Government see that they will be demolished after providing basic amenities to these people?

SHRI SIKANDAR BAKHT: It is receiving the attention of the Government.

पंडित डी० एन० तिवारी : 1975–76 में कई कोलोनीज को बुलडोजर्स से गिरा दिया गया था और उनमें कुछ मकान अभी स्टेंडिंग हैं । जिनके मकान तोड़ दिये गये उन में से कुछ लोगों को दूसरी जगह मकान या जमीन दी गई, कुछ को नहीं दी गई । तो क्या मंत्री जी ऐसे कैसेज को एग्जामिन करेंगे और जिनके मकान तोड़ दिए गए हैं उनको राहत देने का कुछ इंतजाम करेंगे ?

श्री सिकन्दर बख्त : जी हां ।

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Government provide alternative arrangements to the displaced persons?

SHRI SIKANDAR BAKHT: Yes.

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के घर गिराये गये हैं उन लोगों को क्या सरकार मुआवजा देने पर विचार कर रही है ? और दूसरी बात यह है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने भी इस इमरजेंसी के दौरान बिना अदालतों का निर्णय लिए हुए जबरदस्ती लोगों के घरों को गिरा दिया है । क्या केन्द्रीय सरकार उन राज्य सरकारों को भी यह निर्देश देगी कि जिन लोगों के इस तरह से घर गिराये गये हैं बिना न्यायालयों के आदेश, के उन लोगों को घर बनाने के लिए और जो घर गिराये गये हैं उनकी क्षतिपूर्ति के लिए राज्य

सरकार समुचित सहायता दे और क्षतिपूर्ति करे। क्या इस तरह का निर्देश सरकार देने जा रही है?

श्री सिकन्दर बख्त : अभी तक मैं इस सवाल को देख नहीं सका हूं।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : जो प्रश्न यहां पूछा गया है यह उसी से पैदा होता है।

श्री सिकन्दर बख्त : सवाल का पहलू यह है कि कुछ लोगों के मकानात को न जायज तौर पर गिराया गया है। इस सवाल के पहलू को एग्जामिन करने की जरूरत है जिसको देखा जाएगा, उस के बाद ही मैं कुछ कह सकूंगा।

PROF. P. G. MAVALANKAR: I want to know whether it is a fact that nearly a million people are involved in this kind of displacement. In view of the large numbers involved, may I know whether the Government would see to it that those people who have been evicted from their old places would be brought back in their respective colonies, if at all feasible? And, with regard to those who will be left out and those who are in the unauthorised colonies, will the Government see to it that basic amenities are given to them? Will the Government also see to it that cheap transport facility is available to them so that they can come from long distances to their places of work?

SHRI SIKANDAR BAKHT: For the first part, figures are not available with me. For second and third, yes.

श्री हुकम चन्द कछवाय : देश के बड़े-बड़े महानगरों में बहुत बड़ी संख्या में ऐसी बस्तियां हैं जो गैर-कानूनी हैं, परन्तु उनको बिजली और पानी दिया हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि जब वह गैर-कानूनी हैं, तो उनको बिजली और पानी क्यों दिया गया। यदि यह सुविधाएं दी गई हैं तो क्या सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश दिये हैं कि उन्हें अब न उजाड़ा जाये और वहीं उन्हें मंजूरी दी जाये?

देहातों की जनता अधिकतर शहरों की तरफ भाग रही है, इसी कारण इन बस्तियों का निर्माण होता है। क्या सरकार ऐसा कोई प्रयास कर रही है जिससे देहातों में भी अच्छे मकान हों और लोग वहीं रह सकें और वहीं उन्हें रोजगार आदि भी मिलें?

श्री सिकन्दर बख्त : जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है, वह अभी तक मेरी तवज्जह में नहीं आया है। जहां तक आपके सवाल के पहले हिस्से का ताल्लुक है, यह सवाल दिल्ली से ज्यादा संबंधित है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में यह कहीं नहीं लिखा है कि यह दिल्ली से संबंधित है। मंत्री महोदय प्रश्न समझे नहीं और वह गलत बयान दें, इससे क्या बात बनती है। इस प्रश्न में दिल्ली का कहीं जिक्र नहीं है।

SHRI SIKANDAR BAKHT: The hon. Member is correct, Sir.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : गुजिश्ता इलैक्शन में दिल्ली के निवासियों ने जनता पार्टी को वोट इस उम्मीद पर दिये हैं कि जो लोग दूर दूर चले गये हैं, स्लम डवैलर्स रहे हैं, उनको उनकी पुरानी बस्तियों में लाया जायेगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उनकी उस उम्मीद को पूरा करने के लिये क्या किया गया है? क्या उन बाहर निकाले गये स्लम डवैलर्स को फिर वापिस लायेंगे?

श्री सिकन्दर बख्त : वे लोग वापस लाये जायेंगे।

श्री वीरेन्द्र प्रकाश : मैं यह जानना चाहता हूं कि मास्टर प्लान के अन्तर्गत कितनी

फैमिलीज के मकानात गिरा दिये गये हैं? जिनके मकान गिराये गये हैं, उनके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है और कहां की है?

श्री सिकन्दर बख्त : कितनी फैमिलीज के मकानात गिराये गये हैं, उनकी तादाद तो बता नहीं सकता हूं, लेकिन इतना जरूर किया गया है कि जो रिसैटलमेंट के हालात इस वक्त हैं, उनको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। दूसरे यह कि जो रैजीडैंशियल एरियाज के लोग हटाये गये हैं, उनको फिर वहीं लाकर बसाया जायेगा।

डा० सुशीला नायर : मैं यह जानना चाहती हूं कि कई जगह जहां ये झुग्गी झोपड़ी वाले थे या इस तरह की अनएथोराइज्ड बस्तियां थीं जो उठाई गई वहां पर कुछ समाज सेवी संस्थाएं इन के बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य इत्यादि के लिए काम कर रही थीं, अब जहां वे ले जाए गए हैं वहां पर उन संस्थाओं को भी जगह मिलनी चाहिए जिस से वे उनकी सेवा कर सकें और वे इस की मांग भी कर रही हैं, तो उस के बारे में मंत्री महोदय कुछ तवज्जह देंगे? वहां पर बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। पार्टी बन्दी की वजह से कुछ को दिया है कुछ को नहीं दिया है।

श्री सिकन्दर बख्त : अगर वहां उन के पास जगह थी तो यहां भी दी जायेगी।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा कि कुछ लोगों को नाजायज तरीके से हटाया गया है जिस का लाजिमी नतीजा यह होता है कि कुछ लोगों को जायज तरीके से हटाया गया है। आगे उन्होंने कहा कि सब को वापस लाया जाएगा। तो क्या जिन को जायज तरीके से हटाया गया है उन को भी और जिन को नाजायज तरीके से हटाया गया है उन को भी वापस लाय जायेगा?

श्री सिकन्दर बख्त : मैं ने अर्ज किया है कि जो लोग दिल्ली के रेजीडेंशियल एरियाज से हटाए गए हैं उन को उन एरियाज को डेवलप करने के बाद वहां बसाया जाएगा।

श्री रूपनाथ सिंह यादव : मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन एरियाज में जो हरिजन और गरीब थे उन को बसाने के लिए सरकार क्या इंतजाम कर रही है?

श्री सिकन्दर बख्त : जो आम लोगों को बसाने के लिए ढंग होगा वही उन के लिए भी बरता जाएगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सौन्दर्यीकरण के नाम पर दिल्ली के अलावा लखनऊ, बम्बई आदि नगरों में भी गरीबों को उजाड़ दिया गया है तो उन के पुनर्वास की व्यवस्था के लिए क्या वे गंभीरता से विचार कर रहे हैं क्यों कि सब के पुनर्वास की व्यवस्था के लिए सब के आंकड़े इकट्ठे करने हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं ने इस सवाल पर इस पहलू से तो गौर नहीं किया है, लेकिन इस को देखेंगे।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the hon. Minister kindly tell us as to whether he has received any communication from Syed Abdulla Bukhari who spoke for both Hindus and Muslims about rehabilitation and resettlement of those persons who were bulldozed out of Turkman Gate and Ajmal Khan Road, etc.? If so, what is the text of the communication and what action has been taken?

SHRI SIKANDAR BAKHT: I have not received any communication.

SHRI SOUGATA ROY: I would like to know from the hon. Minister whether the area around Jama Masjid, which used to be very unclean and which is a place of worship, is

proposed to be brought back to its original position. (*Interruptions*)

SHRI VASANT SATHE: He had promised during elections that all those persons who were removed from there would be brought back. He wanted to know when are you going to do it?

SHRI SIKANDAR BAKHT: This question does not flow from the original Question. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: The question is clear as to whether you are going to bring back the slums to the original place. Say either 'yes' or 'no'.

SHRI SIKANDAR BAKHT: The changes made around Jama Masjid are of a permanent nature.

DR. BALDEV PRAKASH: I would like to know from the hon. Minister whether the persons who have been buldozed out of Delhi will be given built-up constructed houses or plots or loans to build the houses.

SHRI SIKANDAR BAKHT: I have already answered that those areas are going to be re-developed and the persons who were sent away from there are going to be settled in those very spots. There is no question of giving loans to them.

श्री राम कंवार बेरवा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन गरीब लोगों को, जोकि बिल्डिंग वगैरह का काम करते थे, शहर से दूर ले जाकर 20–22 मील पर डाल दिया गया है और अगर एक बड़े परिवार में चार परिवार थे तो एक परिवार को एक जगह और दूसरे परिवार को दूसरी जगह रखा गया तो क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि इस प्रकार की कोई कठिनाई होगी तो उनको एक ही कालोनी में मकान देने की व्यवस्था की जायेगी ताकि वे अच्छी तरह रह सकें ?

SHRI SIKANDAR BAKHT: I have not been able to look into that question.

SHRI K. LAKKAPPA: The whole question involves politics so far as Delhi is concerned.

MR. SPEAKER: Why do you want to add it to that?

SHRI K. LAKKAPPA: Regarding hut-dwellers, pavement dwellers and others, the previous Government had taken certain steps to see that their conditions of living were ameliorated. The Master Plan was prepared and its implementations was under progress. I would like to know from the hon. Minister whether the present Government is going to undo the Master Plan prepared by the previous Government to see that the entire question is taken up from the political angle. I would like the hon. Minister to give a categorical assurance that he will not disturb the Master Plan prepared by the previous Government to ameliorate the conditions of living of hut-dwellers, pavement dwellers and others.

SHRI SIKANDAR BAKHT: The present Government intends to do much more than what the previous Government had done.

श्री गौरी शंकर राय : मान्यवर, इस प्रश्न के संबंध में एक भ्रम पैदा हो गया है। विरोध पक्ष के लोग यह नहीं समझते हैं कि रेजिडेंशल एरिया कौन है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या जामा मस्जिद का वह रेजिडेंशल एरिया है जिसके संबंध में आपने जवाब दिया है ? इस बात को मंत्री महोदय स्पष्ट कर दें।

श्री सिकन्दर बख्त : सारी गलतफहमी यही है । जामा मस्जिद का जो एरिया बनाया गया है वह रेजिडेंशल एरिया नहीं है ।

श्री चांद राम : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को वहां से हटाया गया है क्या उनको मकान बना और बिजिनेस करने के लिए माली इमदाद दी जाएगी ?

श्री सिकन्दर बख्त : अगर वहां रहने के लिए ही मकान बनाये जायेंगे तो मकान बनाने के लिए माली इमदाद देने का सवाल नहीं उठता है ।

11.25 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE—*contd.*

CERTAIN REMARKS BY SHRI T. N. KAUL ON TELEVISION NETWORK IN U.S.A. IN JULY, 1975

MR. SPEAKER: On 1st April, 1977, Shri Jyotirmoy Bosu sought to raise a question of privilege against Shri T. N. Kaul, the then Ambassador of India in U.S.A. for certain remarks made by him on television network in USA in July, 1975. Shri Bosu stated that Shri Kaul had *inter alia* said that "political leaders had not been jailed but detained in houses".

Shri Atal Behari Vajpayee, the Minister of External Affairs, made a statement in the House on 1st April, 1977 in regard thereto. He, *inter alia*, said that clarification had been called for from Shri Kaul and Shri Kaul's contention was that he had no intention of distorting the facts and that his remarks were based on the information then available with him. Shri Kaul also submitted that if his remarks based on incomplete information had hurt anyone, it was unfortunate but he had no intention of making a wrong statement. Shri Vajpayee had stated that the remarks of Shri Kaul were not based on facts.

I have carefully considered the matter. In order to constitute a breach of privilege, the impugned statement should relate to the proceedings of the House or to Members in the discharge of their duties as Members of Parliament. It may be seen that the impugned statement of Shri Kaul related to political leaders and not to Members of Parliament as such, although Members of Parliament are also political leaders.

Secondly, Shri Kaul's remarks were made in July, 1975 when the Fifth Lok Sabha was in existence. The matter cannot be raised as a privilege issue in the Sixth Lok Sabha.

In the circumstances, no question of privilege is involved in the matter.

11.27 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

CENTRAL ADVISORY COMMITTEE FOR LIGHTHOUSES (PROCEDURAL) RULES, 1976, SEAMEN'S P.F. (AMDT.) SCHEME, 1976, SHIPPING DEVELOPMENT FUND COMMITTEE (E.C.P.F.) RULES, 1976, ANNUAL REPORTS OF POOMPUHAR SHIPPING CORP., MADRAS FOR 1975 & 1976, ANNUAL REPORTS OF SHIPPING DEVELOPMENT FUND COMMITTEE FOR 1974-75 AND 1975-76, NOTIFICATIONS *re.* TAMIL NADU MOTOR VEHICLES RULES AND STATEMENTS

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): I beg to lay on the Table:—

(1) A copy of the Central Advisory Committee for Lighthouses (Procedural) Rules, 1976 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 1734 in Gazette of India dated the 11th December, 1976 under sub-section (3) of section 21 of the Indian Lighthouses Act, 1927. [*Placed in Library. See* No. LT-164/77]